(56)

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

**पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा**

सिविल प्रकरण संख्या:– 01/2025 तारीख रजू 10.02.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।

..........आवेदक

**बनाम**

1. जसवंत सिंह पुत्र रामकिशन सिंह, वेण्डर ऑफ मैसर्स मोहनलाल शर्मा फूड ट्रोली नं. 20, सवाईमाधोपुर जंक्शन घर का पता– खटीक मोहल्ला, रेलवे कोलोनी, सवाई माधोपुर जं. (राज.) –322001 (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. मोहनलाल शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा, प्रोपराईटर मैसर्स मोहन लाल शर्मा फूड ट्रोली नं. 20, सवाईमाधोपुर जंक्शन घर का पता– 58,59 बोहरा भवन, ब्रहमपुरी, रेलवे कोलोनी, सवाई माधोपुर जं. (राज.)–322001 (फर्म/लाइसेंसी)

........ अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स –2011

**निर्णयः–** **दिनांक 29/07/2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश चंद मीना (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री ओम प्रकाश राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.12.2023 को समय 14.30 बजे मैसर्स मोहनलाल शर्मा फूड ट्रोली नं. 20, सवाईमाधोपुर जंक्शन का निरीक्षण किया जहां पर खाद्यकारोबारकर्ता जसवंत सिंह खाद्य पदार्थ "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) की बिक्री कर रहे थे, को अपना परिचय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए रखे खाद्य पदार्थ "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 500–500 ग्राम की कुल 02 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 750/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) मात्रा 500 gm X 04 part = 02 kg को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 500–500 ग्राम "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) को प्लास्टिक जार में भरकर [illegible] में 40–40 बूंद प्रिजरवेटिव फोरमेलिन डालकर अच्छी तरफ मिलाया गया [illegible] जार को पैक किया गया। इसके पश्चात् नमूने का लेबल तैयार कर ले[illegible] एवं खाद्य कारोबारक[illegible]वत सिंह एवं गवाह श्री बनवारीलाल मीना ने हस्ताक्षर किये। अभिहि[illegible]धिकारी प.म.रे. जबल[illegible]कोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एवं क्रमांक डब्ल्यूसीआर/915–1311 दर्ज किया। इसके पश्चात लेबल को प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–1311 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री जसवंत सिंह, गवाह एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 18.01.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/5383/एक्ट/2023/174 दिनांक 09.01.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) खाद्य पदार्थ का नमूना Sub-standard पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Sub-standard खाद्य पदार्थ "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित हुये तथा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त [illegible] "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) का सेम्पल भरा गया था जिसकी जयपुर की लैब [illegible] सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। उक्त सेम्पल की लेब रिपोर्ट में फूड कलर की मात्रा निर्धारित मानक से ज्यादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

होने के कारण उक्त सेम्पल सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण सोबायीन के शुद्ध तेल से निर्मित चोले की दाल की पकौडी तैयार कर विक्रय करते है जिसमें लेब रिपोर्ट में कोई मिलावट नहीं पाई गई है किन्तु प्रार्थीगण को फूड कलर की निर्धारित मात्रा मानक का ज्ञान नहीं होने के कारण उक्त पकौडी में फूड कलर निर्धारित मात्रा से ज्यादा हो गया। प्रार्थीगण को अब उक्त नियम का ज्ञान हो गया है। प्रार्थीगण भविष्य में किसी प्रकार का फूड कलर का उपयोग नहीं करेंगे। अन्त में अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण पर न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण का निरतारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/5383/एक्ट/2023/174 दिनांक 09.01.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में जुर्म स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** "Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/-रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
**न्याय निर्णयन अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर**